

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग
आदेश

सं० सं०-17/विविध-01-206/2024

पटना, दिनांक :- / / 2025

राज्य के चिकित्सा संस्थान में कार्यरत बॉण्ड से आच्छादित चिकित्सा पदाधिकारी/सीनियर रेजिडेंट/ट्यूटर को NEET-SS 2024/INI-SS July 2025 के Counselling में भाग लेने/नामांकन हेतु विभागीय आदेश संख्या-914(1) दिनांक- 06.10.2020-सह-पठित-शुद्धि पत्र संख्या-915(1) दिनांक-10.10.2020 में निहित शर्तों के आलोक में अनापत्ति इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि नामांकन नहीं होने अथवा चयनोपरान्त अध्ययन अवकाश पूर्ण करने के तत्काल बाद तीन वर्षीय बॉण्ड सेवा पूर्ण करेंगे :-

क्र० सं०	नाम	जन्म तिथि	नियुक्ति का पत्रांक एवं दिनांक	विभाग, पदस्थापित चिकित्सा संस्थान का नाम	अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने का प्रयोजन
1	2	3	4	5	6
01	SUDHANSHU SHEKHAR	20-Jul-93	652(17) 27.06.2023	ANMMCH, Gaya	NEET-SS-2024
02	CHANDAN KUMAR	01-Jul-91	96(17) 24.01 2025	ANMMCH, Gaya	NEET-SS-2024
03	RAJESH KUMAR RAI	11-10-1991	47(17) 11 01 2025	PMCH , Patna	INI-SS July 2025
04	NEHAL HYDER	18-10-1991	52(17) 11.01.2025	PMCH, Patna	INI-SS July 2025
05	MD ALI KHAN	Jan 27 1994	595(17) 05.06 2025	SH, SIWAN	INI-SS July 2025

2. संबंधित चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल के प्राचार्य/अधीक्षक द्वारा उपर्युक्त आदेश में निहित शर्तों के आलोक में संबंधित चिकित्सक से उच्चतर शिक्षा (NEET-SS-2024/ INI-SS July 2025) पाठ्यक्रम हेतु आवंटित संस्थान का साक्ष्य एवं शपथ-पत्र प्राप्त कर उच्चतर शिक्षा पाठ्यक्रम करने के लिए ही अग्रेतर कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे।

3. प्रस्ताव मे सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-
(रेणु कुमारी)
विशेष कार्य पदाधिकारी।

सं० सं०-17 विविध-01-206/2024 - 683(17)

पटना, दिनांक :-30/06/2025

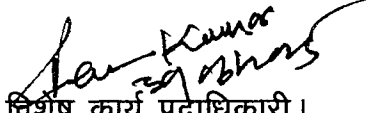
प्रतिलिपि:- महालेखाकार (ले० एवं ह०) बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- प्राचार्य/अधीक्षक, संबंधित चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। निदेशित है कि विभागीय आदेश संख्या-914(1) दिनांक-06.10.2020 सह- पठित-शुद्धि पत्र संख्या 915(1) दिनांक-10.10.2020 में निहित शर्तों के आलोक में संबंधित छात्र से आवश्यक शपथ-पत्र प्राप्त कर आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रतिलिपि:- संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त, बिहार/संबंधित जिला पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।



- प्रतिलिपि:- संबंधित चिकित्सा पदाधिकारी / सीनियर रेजिडेंट / ट्यूटर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि:- संबंधित असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, बिहार तथा संबंधित चिकित्सा संस्थान के निदेशक/अधीक्षक/उपाधीक्षक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि:- माननीय स्वास्थ्य मंत्री के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/सचिव, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-01, 02, 03, 08, 09 एवं 18ए, स्वास्थ्य विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि:- आई0 टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर प्रकाशन हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


विशेष कार्य पदाधिकारी।